

8/8/2024

पत्नावली वादी एवं वादी आधिपत्या के
 पार्श्वना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की
 गई प्रकटा में बेसी दिनांक 26/9/2024
 नियत है पत्नावली आप ही तलब कर
 प्रकरण में राजी नामा के आधार पर कर्षकी
 ज़ेप करने की पार्श्वना की है वादी ने अपने
 पार्श्वना पत्र में अतिरिक्त किया है कि जिनकी
 धन्ना परिवार का कर्ता है वादी सुरज का
 दादा एवं सायरी का सुसुर है जिले द्वारा
 आश्वासन दिया गया की वो वादी सुरज के
 हक-हिस्से की जमादा को सुरक्षित
 रखेगा एवं मुईबुर्द नहीं करेगा इसकारण
 हम पत्नावली के अहम लोक अदालत की
 भाषा से राजी नामा ले गया है ऐसी
 स्थिति में वादी सुरज गाडरी नाबाधिका
 व बिलायत भीमनि सायरी देवी वाद
 प्रकटा को विद्रो कराना चाहती है
 अतः वादी के स्वयं के पार्श्वना पत्र पर
 एवं वादी आधिपत्या की पहचान पर वादपत्र
 विद्रो करने की अनुमति प्रदान की गयी
 है प्रकटा केसल शुभाव डेकर नम्बर से
 कम है।

सायरी
 Id By me
 (वादीना)

E. 11

सावरमल गाडरी
 26/9/24
 (उत्तिवली)

Attd

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा